

पत्रांक

/स०प्र०-...../आवंटन/

दिनांक

प्रदेशन-पत्र

सेवा में,

श्रीमती .....

..... वर्ग

पत्नी श्री .....

.....

.....

महोदया,

आप द्वारा दी गयी सहमति के आधार पर दिनांक ..... के आवंटन में आपको योजना ..... स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या ..... किस्त क्रय पद्धति पर परिषद द्वारा निर्धारित सामान्य नियम एवं शर्तों के आधीन आवंटित किया गया है, जिसके विरुद्ध दिनांक ..... तक निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान अपेक्षित है :-

|   |                        |                                 |
|---|------------------------|---------------------------------|
| (क) भूखण्ड का क्षेत्रफल ..... वर्ग मी.  | (ख) जमा पंजीकरण धनराशि | रु० .....                       |
| फ्रीहोल्ड चार्ज सहित मूल्य  |                        | रु० .....                       |
| कॉर्नर चार्ज 10%  |                        | रु० .....                       |
| भूखण्ड का कुल मूल्य   |                        | रु० .....                       |
| (ग) नकद क्रय पर भुगतान योग्य धनराशि   |                        | रु० .....                       |
| (घ) आधा नकद/किस्त क्रय पद्धति पर भुगतान योग्य धनराशि  |                        | रु० .....                       |
| 1- अपेक्षित शेष पंजीकरण धनराशि  | रु० 0.00               | (च) विविध शुल्क                 |
| 2- प्रथम किस्त के साथ एक मुश्त/आधा नकद देय धनराशि   | रु० .....              | 1. विलेख निष्पादन व्यय          |
| 3- शेष धनराशि निकटतम रु० 100/- के पूर्णांक में  | रु० .....              | 2. विज्ञापन व्यय                |
| 4- अवशेष मूल्य रु० ..... पर प्रतिशत ब्याज लगाकर बनाई गई ..... मासिक किस्तें जो दिनांक ..... से देय होगी | रु० .....              | 3. साईट प्लान फीस               |
| 5- जमा योग्य धनराशि (योग)   | रु० .....              | योग-                            |
|   |                        | रु० .....                       |
|   |                        | 4. विविध शुल्क पर देय जी.एस.टी. |
|   |                        | रु० 92.00                       |

नोट :-

- 1- कृपया विविध व्यय (विलेख निष्पादन व्यय एवं साईट प्लान शुल्क) एवं उस पर देय जी०एस०टी० की धनराशि अनिवार्य रूप से हेडवाइज अलग जमा पर्ची पर जमा करें। सम्पत्ति के मूल्य/किस्त की धनराशि के साथ जमा न करें।
- 2- किसी भी देय धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर (.....% साधारण + 2% अतिरिक्त) .....% वार्षिक ब्याज की दर से दण्ड ब्याज देय होगा।
- 3- न्यायालय के आदेश से अथवा अन्य किसी कारणों से उक्त मूल्य में परिवर्तन करना पड़ेगा तो तदनुसार आपको भुगतान करना होगा।

उपरोक्त विवरण के अंश ग अथवा घ तथा च में अंकित धनराशि ..... बैंक, ..... शाखा, ..... में परिषद के खाता संख्या ....., आईएफएससी कोड ..... में दिनांक ..... तक अलग-अलग चालान पर अवश्य जमा करनी होगी। आवंटी यदि उक्त वांछित धनराशि जमा न करके तथा इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर आवंटन निरस्त कराने की प्रार्थना करता है तो पंजीकरण के लिए निर्धारित धनराशि रुपये ..... का 20% जब्त करते हुए आवंटन व पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा परन्तु जो आवंटी न तो निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा करते हैं और न ही आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर कोई लिखित सूचना देते हैं तो निर्धारित पंजीकरण धनराशि का 50% जब्त करते हुए उनका पंजीकरण एवं आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं सम्पत्ति अन्य को आवंटित कर दी जायेगी।

नकद क्रय पद्धति पर आवंटित भूखण्ड के कुल मूल्य के विरुद्ध देय सम्पूर्ण धनराशि इस प्रदेशन पत्र निर्गत तिथि से 30 दिन के अन्दर भुगतान करने पर भूखण्ड के कुल मूल्य पर 1 प्रतिशत की दर से छूट देय होगी जिसे आवंटी स्वयं समायोजित करते हुए शेष धनराशि जमा कर सकता है।

उक्त प्रदेशन पत्र आवंटन हेतु प्रस्तुत बैंक ड्राफ्ट परिषद खाते में क्रेडिट होने के उपरान्त ही वैध/मान्य होगा।

29.9.2012  
E.E.-C.D.-Rohilkhand-01  
U.P.A.V.P., Moradabad

अन्य शर्तें व निर्देश :-

- 1- परिषद के भवनों एवं भूखण्डों के पंजीकरण एवं आवंटन सम्बन्धी विनियम 1979 (यथा संशोधित जून, 2016) तथा समय-समय पर परिषद द्वारा निर्गत किए गये नियम/आदेश आवंटी को मान्य होंगे।
- 2- यदि आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में वांछित धनराशि का भुगतान अथवा औपचारिकतायें पूर्ण कर सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त नहीं किया जाता है तो उन्हें 15 दिन का नोटिस भेजा जायेगा यदि फिर भी आवंटी कब्जा प्राप्त नहीं करते हैं तो परिषद नियमानुसार कटौती करते हुए सम्पत्ति का आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए आवंटी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 3- सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित प्रपत्र दिनांक ..... तक इस कार्यालय में जमा कर दे अन्यथा रुपया ...../- प्रतिदिन की दर से सम्पूर्ण प्रपत्र जमा करने की तिथि तक का विलम्ब शुल्क देय होगा। कब्जा पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर भौतिक कब्जा न लेने पर रुपया ...../- प्रतिदिन की दर से कब्जा लेने की तिथि तक का रख-रखाव शुल्क देय होगा।
- 4- समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त दो साक्षी के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर अनुबन्ध/रजिस्ट्री निष्पादित कराकर निबन्धन कार्यालय में पंजीयन कराने के उपरान्त ही भौतिक कब्जा हेतु कब्जा पत्र निर्गत किया जायेगा जिसका दायित्व आवंटी का होगा।
- 5- विद्युत एवं जल कनेक्शन आदि का कार्य सम्बन्धित विभाग से आवंटी द्वारा स्वयं के व्यय पर कराना होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।
- 6- भूखण्ड पर कब्जा प्राप्त करने की तिथि के 5 वर्ष के अन्दर सक्षम अधिकारी से मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। निर्माण अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न करने पर नियमानुसार अनिर्माण शुल्क देय होगा, जिसका भुगतान कर सक्षम अधिकारी से निर्माण हेतु समयवृद्धि प्राप्त करनी होगी।

भवदीय

सम्पत्ति प्रबन्धक

वांछित औपचारिकतायें जो दिनांक ..... तक पूर्ण की जानी हैं :-

- 1- भूखण्ड के विरुद्ध वांछित धनराशि जमा करने की समस्त मूल रसीदें प्रस्तुत करें।
- 2- विक्रय विलेख/किराया-किस्त क्रय किरायेदारी का अनुबन्ध निष्पादन हेतु रुपये ..... तथा 50/- का नॉन जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर विलेख टंकित कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। प्रदेशन पत्र निर्गत तिथि से 6 माह के उपरान्त स्टाम्प शुल्क सर्किल दर पर देय होगा। शासनादेश के अनुसार स्टाम्प शुल्क में कमी/वृद्धि हो सकती है। स्टाम्प शुल्क की गणना आप स्वयं भी करा लें।
- 3- राजपत्रित अधिकारी से अपने फोटोग्राफ एवं तीन नमूना हस्ताक्षर संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रमाणित कराकर दो प्रतियों में प्रस्तुत करें, प्रमाणितकर्ता का नाम व पता की मोहर सुस्पष्ट होना आवश्यक है।
- 4- रजिस्ट्री हेतु तीन नग पासपोर्ट साईज के प्रमाणित फोटोग्राफ प्रस्तुत करें।
- 5- आरक्षित वर्ग के व्यक्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 6- संलग्न प्रारूप पत्र रुपये 10/- के नॉन जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
- 7- पेनकार्ड की सत्यापित फोटो प्रति प्रस्तुत करें।

शपथ पत्र का प्रारूप

समक्ष :- सम्पत्ति प्रबन्धक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, .....

मैं, (नाम)..... उम्र..... वर्ष पुत्र/पुत्री .....

व्यवसाय का विवरण ..... निवासी .....

- मैं ..... निम्न प्रकार शपथपूर्वक कहता हूँ कि :-
- 1- मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों के नाम कोई भूखण्ड/भवन पूर्णतया या अंशतः ..... नगर में नहीं है। और उ०प्र० के किसी अन्य शहर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है।
  - 2- मैं तथा मेरे/मेरी पत्नी/पति एवं अवयस्क बच्चों द्वारा उ०प्र० नगरीय सीमा में केवल एक भवन/भूखण्ड के प्रदेशन हेतु आवेदन करता/करती हूँ।
  - 3- मेरी समस्त स्रोतों से रजिस्ट्रेशन से पूर्व वित्तीय वर्ष ..... की वार्षिक आय जिसमें मेरी/मेरी पत्नी/पति या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं अवयस्क बच्चों की आय भी सम्मिलित है कुल रुपये..... से अधिक नहीं है।
  - 4- मैं, ..... घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 3 तक वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।


स्थान .....

शपथी

दिनांक.....

प्रमाणित

मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी

|   |   |         |
|---|---|---------|
| प्रमाणित फोटो एवं हस्ताक्षर का प्रारूप                                    |   |         |
| नाम .....   |  |         |
| पिता/पति का नाम.....  |   |         |
| पता.....  |   |         |
| आवंटित सम्पत्ति संख्या .....  |   |         |
| नमूने के हस्ताक्षर  |   |         |
| 1. ....   | 2. ....   | 3. .... |
| उपरोक्त फोटो, हस्ताक्षर व पता श्री..... का है जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ। |   |         |

E.E.-C.D.-Rohilkhand-01  
U.P.A.V.P., Moradabad